संख्या-10/2026/186(1)/78-2-2026-ई-2033084

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,उद्योग
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च,2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर (यूपीएसडीसी) हेतु फॉयरवॉल क्रय के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 270.46 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-D/25-26/4646, दिनांक 16-03-2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर (यूपीएसडीसी) हेतु फॉयरवॉल क्रय करने के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से वितीय वर्ष 2025-26 के राज्य आय-व्ययक की "अनुदान संख्या-007-उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-07-मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन-2-अन्य व्यय" मद में प्राविधानित रू0 4492.52 लाख की धनराशि के सापेक्ष रू0 929.26 लाख की चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवशेष बचत सम्भावित है।

2- अत: उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर (यूपीएसडीसी) हेतु फॉयरवॉल क्रय करने के लिए उक्त मद में से अवशेष धनराशि 929.26 लाख में से धनराशि रू0 270.46 लाख (रूपये दो करोड़, सत्तर लाख, छियालीस हजार मात्र) का पुनर्विनियोग के माध्यम से "अनुदान संख्या-007-उद्योग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-17-स्टेट डाटा सेन्टर-42-अन्य व्यय" मद में कराते हुए संलग्न बी0एम-9 प्रपत्र (प्रतिसंलग्न) में उल्लिखित धनराशि रू0 270.46 लाख (रूपये दो करोड़, सत्तर लाख, छियालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं:-

(1) निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में पारित एमओयू / निविदा / कार्यादेश की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा- जोखा निदेशक, उद्योग कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एसडीसी के आपरेशनल व्ययों एवं एस.डी.सी. योजना अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0 प्र0 प्रयागराज, निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। तात्कालिक आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से धनराशि का आहरण किया जायेगा। कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस- 2025- 231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(11) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक, जो भी ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को का होगा।

(12) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन का जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को जिम्मेदार होंगे।

(13) प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से करा लिया जायेगा तथा प्रश्नगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

(14) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,70,46,000 (रुपये दो करोड़, सत्तर लाख, छियालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808001700 स्टेट डाटा सेन्टर मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ / प्रयागराज।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
9- नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ।
10- औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3, उ0प्र0 शासन।
11- अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन, बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग,उ0प्र0 शासन।
12- आईटी एवं इले0 अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A078-20252026-2033084

विषय:- उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर (यूपीएसडीसी) हेतु चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट आवंटन के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852072020700 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन)	42 (अन्य व्यय)	44,92,26,000 रुपये चौवालीस करोड़ बानबे लाख छब्बीस हजार मात्र	9,29,26,000 रुपये नौ करोड़ उनतीस लाख छब्बीस हजार मात्र	2,70,46,982 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार नौ सौ बयासी मात्र	2,70,46,000 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार मात्र	42,21,80,000 रुपये बयालीस करोड़ इक्कीस लाख अस्सी हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 2,70,46,982	₹ 2,70,46,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852808001700 (स्टेट डाटा सेन्टर)	42 (अन्य व्यय)	46,00,00,000 रुपये छियालीस करोड़ मात्र	2,70,46,982 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार नौ सौ बयासी मात्र	2,70,46,000 रुपये दो करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार मात्र	48,70,46,000 रुपये अड़तालीस करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 2,70,46,982	₹ 2,70,46,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. बचत/अतिरिक्त व्यय का कारण निम्नानुसार है:-
2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लेखाशीर्ष "2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-07-मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन-42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत लगभग 929.52 लाख की संभावित बचत प्रश्नगत मद में मांग सृजित न होने की संभावना के दृष्टिगत है एवं लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-17-स्टेट डाटा सेन्टर-42-अन्य

व्यय" मद में प्रतिबद्धता के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि रू. 2,70,46,982.00 का अतिरिक्त व्यय किये जाने की अपरिहार्यता है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

अनुदेश

1. प्रत्येक अनुदान / विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोग के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में भारित अंकित कर दिया जाए।
2. जिन लेखाशीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरुप होना चाहिए।
3. कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोग की धनराशि,जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाये।

प्रपत्र के कालम- 5,6 व 11,12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

संख्या:RE-budget-1-656-E-6-204-X-2025-26-दिनांक: 24-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, इलाहाबाद ।

शैलेन्द्र कुमार राय
अनु सचिव

अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

संख्या : 186/ 78-2, 2026 दिनांक- 25 मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से

अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव